प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

दांडिक अपील क्रमांक 742/1994

सलीग्राम एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही/-
(मुख्य न्यायाधीश)

निर्णय हेतु सूचीबद्ध करे : 18/03/2011

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 742/1994

अपीलार्थीगण: 1. सलीग्राम, पिता–मुकुंद, आयु लगभग 22 वर्ष

2.नाथूराम, पिता–सुकुराम, आयु लगभग 25 वर्ष

दोनों महारा जाति के, निवासी–नंदपुरा, थाना–भानपुरी, जिला–बस्तर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा थाना प्रभारी, थाना–भानपुरी, जिला बस्तर।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थिति : श्रीमती सविता तिवारी, अधिवक्ता – अपीलार्थियों की ओर से

श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता – राज्य की ओर से

निर्णय

(18.03.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय **श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया —

(1) यह अपील दिनांक 7 अप्रैल 1994 को सत्र प्रकरण क्रमांक 551/1993 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर (बस्तर) द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था।

(2) अभियोजन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 25.09.1993 को सायं लगभग 7:00 बजे, ग्राम अमलीगुड़ा के ग्रामीण नायाखानी (एक ग्राम उत्सव) मना रहे थे। वहाँ अनेक ग्रामीण उपस्थित थे, जिनमें मृतक आयतु तथा उसका भाई दास्सूराम (अ.सा-8) भी सम्मिलित थे। अभियोजन का आरोप है कि अपीलार्थी वहाँ आए और मृतक आयतु के बारे में पूछताछ की। जब मृतक उनके सामने आया, तब अपीलार्थी क्रमांक-1 सलीग्राम ने एक गुप्ती निकालकर मृतक की बाईं जांघ पर वार किया। अपीलार्थी क्रमांक-2 नाथूराम ने भी चाकू से मृतक के पेट पर हमला करने का प्रयास किया, किंतु मृतक ने चाकू पकड़ लिया, जिसके कारण उसके उँगलियों में चोटें आईं। इसके पश्चात् दोनों अपीलार्थी ग्राम नंदपुरा की ओर चले गए। यह घटना अनेक प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा देखी गई, जिनमें कु. रामा (अ.सा-2), तुलसीराम (अ.सा-3) तथा दास्सूराम (अ.साW-8) शामिल हैं। मृतक को शवपरीक्षण हेतु महारानी अस्पताल, जगदलपुर भेजा गया, जिसके संबंध में मेमो प्र.पी/15 है। शवपरीक्षण परीक्षण डॉ. जी.के. अग्रवाल (अ.सा-5) द्वारा किया गया।

उन्होंने मृतक की बाईं जांघ पर 1½ × 1 × 4½ इंच का कटा हुआ घाव पाया। आंतरिक परीक्षण में उन्होंने पाया कि फीमोरल रक्तवाहिनियाँ (धमनी एवं शिरा) कटी हुई थीं। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने यह मत व्यक्त किया कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उत्पन्न शॉक से मृतक की मृत्यु हुई तथा मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र.पी/9 है। आगे की विवेचना में अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके मेमोरेंडम कथन (प्र.पी/3 एवं प्र.पी/4) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किए गए। अपीलार्थियों की निशानदेही पर दो गुप्तियाँ जब्त की गईं, जिनके संबंध में जब्ती मेमो प्र.पी/5 एवं प्र.पी/6 हैं। जब्त की गई वस्तुओं को मेमो प्र.पी/16 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को उनके रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया, जहां से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ताओं की निशानदेही पर जब्त की गई दो गुप्तियों पर खून के धब्बे पाए गए। सत्र न्यायाधीश ने हथियारों की कथित बरामदगी पर भरोसा नहीं किया। अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि कु.रामा (अ.सा-2), तुलसी राम (अ.सा-3) और दस्सू राम (अ.सा-8) के चक्षु विवरण पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता संख्या 2 की संलिप्तता संदिग्ध है;ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसने भी गुप्ती से मृतक पर हमला किया था, यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि उसने मृतक की मानववध करने के लिए अपीलकर्ता संख्या 1-सालीग्राम के साथ सामान्य आशय साझा किया था; इसलिए, वह दोषमुक्त होने का पात्र है।जहाँ तक अपीलकर्ता संख्या 1-सालीग्राम का प्रश्न है, उन्होंने तर्क दिया कि साक्ष्यों से पता चलेगा कि मृतक की मानववध करने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह धारा 302 भा.दं.स के तहत सजा के लिए

उत्तरदायी नहीं होगा और उसके मामले पर धारा 304 भा.दं.स के भाग I के तहत किसी कम सजा के लिए विचार किया जा सकता है।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) सबसे पहले, हम अपीलकर्ता संख्या 2 नत्थूराम के विरुद्ध साक्ष्यों पर विचार करेंगे । उसे भा.दं.स की धारा 34 हेतु दोषी ठहराया गया है । दस्सू राम (अ.सा-8) ने गवाही दी कि उसने दोनों अपीलकर्ताओं को वहाँ आते देखा और अपीलकर्ता संख्या 1-सालीग्राम को अपने भाई पर गुप्ती से हमला करते देखा । हालाँकि उन्होंने ए.एफ.आई.आर. में कहा था कि अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम ने भी मृतक के पेट पर चाकू से हमला किया था, और चाकू को मृतक ने पकड़ लिया था, जिससे उसकी उंगलियों में चोटें आईं, लेकिन उन्होंने अपनी अदालती गवाही में ऐसा बयान नहीं दिया । वास्तव में, अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम द्वारा चाकू से हमले के प्रयास से संबंधित कहानी उनकी अदालती गवाही में नहीं मिलती है । यहाँ तक कि डॉक्टर को भी मृतक की उंगलियों पर कोई चोट नहीं मिली है । यह दस्सू राम (अ.सा-8) की गवाही और अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम की कथित भूमिका पर भी संदेह पैदा करता है। कु. रामा (अ.सा-2) एक बाल गवाह है । घटना की तारीख को उसकी उम्र लगभग 9-10 वर्ष थी । वह मृतक की बहन है । उसने गवाही दी कि दोनों अपीलकर्ताओं ने मृतक पर हमला किया जिससे गहरा घाव हुआ । वह यह नहीं बता सकती कि उनके द्वारा किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था ।चोट लगने के बाद उसका भाई गिर गया । उसे पेट पर चोट लगी थी । उसकी मौके पर ही मौत हो गई । अपीलकर्ताओं ने मृतक पर दो बार वार किए । जिरह में, उसने गवाही दी कि दोनों अपीलकर्ताओं ने गुप्ती से मृतक पर दो बार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हमला किया था ।दोनों ने मिलकर हमला किया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया था कि अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम द्वारा कथित तौर पर किए गए हमले का मृतक ने उसकी गुप्ति पकड़कर विरोध किया था । तुलसीराम (अ.सा -3) ने भी इसी तरह गवाही दी । उसने गवाही दी कि मृतक पर दोनों अपीलकर्ताओं ने गुप्ती से हमला किया था । हमला उसकी बाईं जांघ पर किया गया था । जिरह में, उसने बयान दीआ कि मृतक की उंगलियों पर भी चोटें आई थीं, क्योंकि उसने अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम की गुप्ती पकड़ ली थी।

(7)जैसा कि हमने पहले ही देखा है, मृतक की बाईं जांघ पर केवल एक ही चोट थी। अभियोजन का मामला यह है कि उक्त चोट सालिग्राम (अपीलार्थी क्रमांक-1) द्वारा पहुंचाई गई थी। अपीलार्थी क्रमांक-2 नथूराम के संबंध में अभियोजन का एफ.आई.आर. में यह मामला था कि उसने भी मृतक के पेट पर गुप्ती से वार किया, जिसे मृतक ने पकड़ लिया और इस कारण मृतक की उंगलियों में चोटें आईं। किंतु मृतक की उंगलियों पर कोई चोट पाई नहीं गई। यहां तक कि दासू राम (अ.सा.-8) ने भी अपने न्यायालयीन बयान में अपीलार्थी क्रमांक-2 नथूराम द्वारा ऐसे किसी प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप नहीं लगाया। अन्य दो गवाहों, अर्थात् कु. रामा (अ.सा.-2) एवं तुलसीराम (अ.सा.-3) की अपीलार्थी क्रमांक-2 नथूराम द्वारा किए गए कथित प्रत्यक्ष कृत्य संबंधी गवाही न केवल परस्पर विरोधाभासी है, बल्कि चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है। अपीलार्थी क्रमांक-2 नथूराम द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में तीनों प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही में यह असंगति, अपीलार्थी क्रमांक-2 नथूराम के संबंध में उनकी गवाही को अविश्वसनीय बनाती है तथा अपीलार्थी क्रमांक-2 को आरोपित की गई भूमिका उपर्युक्त गवाहियों के आधार पर उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं होती। उपर्युक्त तीनों प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की संपूर्ण गवाही के मूल्यांकन से यह तो स्थापित होता है कि घटना के समय अपीलार्थी क्रमांक-2 नथूराम भी अपीलार्थी क्रमांक-1

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सालिग्राम के साथ घटना स्थल पर उपस्थित था, किंतु यह स्थापित नहीं हो सका कि उसने उक्त घटना में कौन सा प्रत्यक्ष कृत्य किया था।

(8) धारा 34 को किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है । यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और कोई सारभूत अपराध नहीं बनाती है । इस धारा की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है । कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कृत्य उन व्यक्तियों के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में किया जाता है जो अपराध करने में शामिल होते हैं । सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण विरले ही उपलब्ध होता है और इसलिए, ऐसे आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है ।सामान्य आशय के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होता है कि उन सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उस अपराध को करने की योजना या मन का मिलन था जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व-व्यवस्थित हो या उसी क्षण का; लेकिन यह अपराध के घटित होने से पहले का होना चाहिए । धारा की वास्तविक विषयवस्तु यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानून की स्थिति वही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो । अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक सामान्य आशय का अस्तित्व इस धारा के लागू होने के लिए आवश्यक तत्व है । यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के आरोपी कई व्यक्तियों के कृत्य समान या बिल्कुल एक जैसे हों । कृत्य भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए एक ही सामान्य आशय से प्रेरित होने चाहिए । **कृपया**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनिल शर्मा और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2004) 5 SCC 679 देखें । सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि 1870 में, धारा 34 में "व्यक्तियों" शब्द के बाद और "प्रत्येक" शब्द से पहले "सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में" शब्दों को जोड़कर संशोधन किया गया था, ताकि धारा 34 के उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सके । धारा यह नहीं कहती है "सभी का सामान्य आशय", न ही यह कहती है "और आशय सभी के लिए सामान्य" । धारा 34 के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार अभियुक्त को प्रेरित करने वाले सामान्य आशय के अस्तित्व में पाया जाना है, जो उस आशय को आगे बढ़ाने में एक आपराधिक कृत्य करने की ओर ले जाता है । धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के लागू होने के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानून में इसका मतलब है कि अभियुक्त उस कार्य के लिए उत्तरदायी है जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई, उसी तरह जैसे कि यह अकेले उसी के द्वारा किया गया हो । प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामले को हल करना है जिसमें उन सभी सदस्यों के कृत्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं या यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक द्वारा वास्तव में क्या भूमिका निभाई गई थी ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) **दानी सिंह बनाम बिहार राज्य, 2005 SCC (Cri) 127 (कंडिका 20)** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सामान्य आशय गठित करने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभियुक्त का आशय बाकी लोगों को ज्ञात हो और उनके द्वारा साझा किया गया हो । निस्संदेह, किसी व्यक्ति के आशय को साबित करना भी कठिन है और इसलिए, व्यक्तियों के एक समूह के सामान्य आशय को दिखाना और भी कठिन है। लेकिन कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अभियोजन पक्ष को उन तथ्यों, परिस्थितियों और अभियुक्तों के आचरण का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए जिनसे उनके सामान्य आशय का सुरक्षित रूप से

अनुमान लगाया जा सके । अधिकांश मामलों में, इसका अनुमान कृत्य, आचरण या विचाराधीन मामले की अन्य सुसंगत परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए ।यह निष्कर्ष निकालने में कि क्या अभियुक्तों का उस अपराध को करने का सामान्य आशय था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है, परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए । मामलों के तथ्य और परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं और प्रत्येक मामले का निर्णय उसमें शामिल तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए । क्या कोई कार्य सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में है, यह तथ्य की घटना है न कि कानून की ।

(10) वर्तमान मामले में, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे यह माना जा सके कि अपीलकर्ता संख्या 1-सालीग्राम द्वारा बनाया गया आशय अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम को ज्ञात था और उसके द्वारा साझा किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम की उपस्थिति स्थापित की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता संख्या 2 की किसी भी ऐसी परिस्थिति या आचरण को साबित नहीं किया है, जिससे अपीलकर्ता संख्या 1-सालीग्राम के साथ उसके सामान्य आशय को साझा करने का अनुमान लगाया जा सके । चश्मदीद गवाहों की गवाही में अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम के कथित आचरण के संबंध में विसंगति है और उसकी उपस्थिति के अलावा, उनकी गवाही से निश्चितता के साथ कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है । इसलिए, हमारा विचार है कि हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के संस्करण से घटनास्थल पर अपीलकर्ता संख्या 2 की उपस्थिति स्थापित हो गई थी, लेकिन यह स्थापित नहीं हुआ कि अपीलकर्ता संख्या 2-नत्थूराम ने मृतक की मानववध करने या मृतक को ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के लिए अपीलकर्ता संख्या 1-सालीग्राम के साथ सामान्य आशय साझा किया था ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2011:CGHC:10864

(11) अब हम अपीलकर्ता संख्या 1 के मामले की जांच करेंगे।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने मृतक की बाईं जांघ पर गुप्ती से वार किया, जिसके कारण उसकी फेमोरल वाहिकाएं (धमनी और शिरा) कट गईं ।

(12) **<u>विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1958 SC 465</u>** में, यह निर्धारित किया गया था कि अभियोजन पक्ष को धारा 300 "तीसरे" के अंतर्गत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करना होगा; प्रथम, उसे पूर्ण निष्पक्षता के साथ से यह स्थापित करना होगा कि एक शारीरिक चोट उपस्थित है; द्वितीय, चोट की प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए। ये पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच हैं। तृतीय, यह सिद्ध होना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुँचाने का आशय था, अर्थात, यह आकस्मिक या अनपेक्षित नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि किसी अन्य प्रकार की चोट पहुँचाने का आशय रहा हो। एक बार जब ये तीन तत्व उपस्थित सिद्ध हो जाते हैं, तो जाँच आगे बढ़ती है और, चतुर्थ, यह सिद्ध होना चाहिए कि चोट का वह प्रकार, जैसा कि अभी वर्णित किया गया है और ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बना है, प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। जाँच का यह हिस्सा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और अनुमानात्मक है और इसका अपराधी के आशय से कोई लेना-देना नहीं है। एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा ये चार तत्व स्थापित कर दिए जाते हैं, तो अपराध धारा 300 "तीसरे" के तहत मानववध है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था, या यहाँ तक कि यह इरादा भी नहीं था कि ऐसी चोट पहुँचाई जाए जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो; यह पर्याप्त है कि चोट पहुँचाने का आशय था और वह चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। यह प्रश्न कि आशय मौजूद है या नहीं, तथ्य का प्रश्न है न कि कानून का। घाव गंभीर है या अन्यथा, और यदि गंभीर है, तो कितना गंभीर है, यह पूर्णतः एक अलग और पृथक प्रश्न

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है और इसका उस प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या बंदी (अभियुक्त) का आशय प्रश्नगत चोट पहुँचाने का था।

(13) **गोकुल परशुराम पाटिल बनाम राज्य महाराष्ट्र, AIR 1981 SC 1441** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **वीरसा सिंह** (**पूर्वत**) के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि यदि यह पाया जाए कि अभियुक्त द्वारा चोट पहुँचाने का आशय था तथा वह चोट सामान्य रूप से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 की "तृतीय" उपधारा लागू होगी और ऐसे व्यक्ति को धारा 302 के अंतर्गत दण्डनीय ठहराया जाएगा।

(14) अतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या अपीलकर्ता क्रमांक-1 सालिग्राम ने वास्तव में वह विशेष चोट पहुँचाने का आशय किया था, जो मृतक के शरीर पर पाई गई तथा जो सामान्य रूप से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। **गोकुल परशुराम पाटिल** (**पूर्वत**) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अभियुक्त द्वारा मृतक को लगाया गया एकमात्र वार बाईं हंसली (क्लैविकल) पर था, जो कि कोई मार्मिक अंग नहीं है, और यह कहना अतिशायोक्ति होगी कि अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उस चोट से सुपीरियर वेना कावा कट जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि संभवतः कोई चिकित्सक भी उस प्रकार की चोट में सुपीरियर वेना कावा की स्थिति का इतनी सटीकता से अनुमान नहीं लगा सकता। अतः वेना कावा का कट जाना एक अनिच्छित अथवा आकस्मिक परिस्थिति के कारण माना गया। इस संदर्भ में **हरिंदर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन**, **AIR 1968 SC 867** तथा **लक्ष्मण कालू निकाळजे बनाम राज्य महाराष्ट्र**, **AIR 1968 SC 1390** के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2011:CGHC:10864

(15) यदि उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में अपीलकर्ता क्रमांक-1 सालिग्राम के मामले की परीक्षा की जाए, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अपीलकर्ता क्रमांक-1 का मृतक की मानववध करने का कोई आशय था अथवा मृतक को ऐसी शारीरिक चोट (जांघ की रक्त वाहिकाएँ काटने की) पहुँचाने का आशय था। अपीलकर्ता क्रमांक-1 द्वारा मृतक को लगाया गया एकमात्र वार उसकी बाईं जांघ पर था, जो निर्विवाद रूप से एक मार्मिक अंग नहीं है और यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता क्रमांक-1 को यह ज्ञान था कि जांघ के उक्त भाग पर वार करने से फीमोरल रक्त वाहिकाएँ कट जाएँगी। उपर्युक्त कारणों से अपीलकर्ता क्रमांक-1 का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दण्डनीय नहीं है और वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-I के अंतर्गत दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) अतः, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता क्रमांक-2 नाथूराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश आपस्त किए जाते हैं। उसे उसके विरुद्ध आरोपित समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता क्रमांक-1 सालिग्राम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश भी आपस्त किए जाते हैं। इसके स्थान पर, अपीलकर्ता क्रमांक-1 सालिग्राम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-I के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा उसे **10** वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता क्रमांक-1 को 28.09.1993 को गिरफ्तार किया गया था और दिनांक 21.01.2003 के आदेश द्वारा उसे 07.11.2003 को जमानत पर रिहा किया गया था। अतः, वह अपने विरुद्ध प्रदत्त दण्ड से अधिक अवधि कारावास में बिता चुका है।

इसलिए, उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Aman Ansari, Advocate.